न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 24/2019 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

रघुनाथ पुत्र गंगाधर जाति जाटव निवासी नगला खरवेरा चक धरसोनी तहसील वैर जिला भरतपुर

............अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर

..............रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.03.2019 तहसीलदार वैर मिसिल नम्बर 23/2019 उनवानी सरकार बनाम रघुनाथ (91 एलआर एक्ट)

उपस्थित :

1. श्री जीतेन्द्र कुमार कर्दम, वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक – 28.02.2020

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार वैर की आज्ञा दिनांक 22.03.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार वैर द्वारा दिनांक 22.03.2019 को पारित निर्णय खिलाफ कानून है। पटवारी हल्का धरसोनी ने गलत रिपोर्ट तैयार करके पेश की है जबकि अपीलान्ट के खसरा नम्बर 154–155 खातेदारी का नम्बर है। अधीनस्थ न्यायालय ने गैरमुमकिन नहर पर अतिक्रमण

माना है इस बाबत तहसीलदार वैर को कोई अधिकार नहीं था। सिचाई विभाग ही कोई कार्यवाही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को गलत रूप से अतिक्रमी माना है जबकि अपीलान्ट खातेदारी काश्तकार है। अपीलान्ट पर 465/—रू0 की पैनल्टी कायम की है जबकि अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 22.03.2019 को निरस्त फरमाने जाने का निवेदन किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार वैर से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के खसरा नम्बर 154—155 खातेदारी के नम्बरान है। विवादित आराजी गैरमुमकिन नही है जिस पर किये अतिक्रमण को हटाने का अधिकार सिचाई विभाग के ए.ई.एन. को है। तहसीलदार वैर द्वारा नियम विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायायल ने अपीलान्ट पर 465/—रू0 पैनल्टी कायम की है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

पैरोकार सरकार ने अपने तर्को में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 154 व 155 रकवा क्रमशः 0.77 एवं 0.78 है0 किस्म गैरमुमकिन नहर वाकै ग्राम चक धरसोनी में से 0.62 है0 पर अपीलान्ट ने फसल गेहूॅ, सरसों बोकर अतिक्रमण किया हुआ है। रिपोर्ट पटवारी हल्का चक धरसोनी में विवादित भूमि की किस्म गैरमुमकिन नहर दर्ज है। तहसीलदार वैर ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट अतिक्रमी को बेदखल करने की जो आज्ञा पारित की है वह विधिसंवत है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 154 एवं 155 रकवा क्रमशः 0.77 एवं 0.78 है0 में से 0.62 है0 ग्राम चक धरसोनी किस्म गैरमुमकिन नहर पर फसल गेहूँ, सरसों बोकर अतिक्रमण किया हुआ है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह कहना कि तहसीलदार को विवादित आराजी पर धारा 91 एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है स्वीकार योग्य नहीं है। तहसीलदार बयाना द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये नियमों के अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार बयाना को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर